

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 30-08-2025

विषय सूची

- » 15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025)
- » FRA कार्यान्वयन पर UNDP रिपोर्ट (2025)
- » भारत-सऊदी अरब रक्षा सहयोग (2025)
- » भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023 रिपोर्ट
- » DBT बायोकेयर कार्यक्रम में वित्त पोषण संबंधी चिंताएँ
- » भारत द्वारा अपनी समुद्री मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करने का प्रयास

संक्षिप्त समाचार

- » मेला पट
- » दारुमा गुड़िया
- » गुरु तेग बहादुर जी का 350वाँ शहीदी दिवस
- » अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
- » भारत द्वारा कपास पर आयात शुल्क छूट विस्तारित
- » राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI)
- » कोनोकार्पस पेड़
- » अभ्यास अचूक प्रहार
- » स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स

15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025)

समाचार में

- 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025) में दोनों देशों ने “आगामी दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण” को अपनाया, जिसमें आर्थिक, सुरक्षा, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े कई समझौते शामिल हैं।
 - जापान ने आगामी 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन (₹5.5 लाख करोड़) के निवेश का लक्ष्य भी घोषित किया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- आगामी दशक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण:** आठ स्तंभों पर आधारित रूपरेखा: आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, नवाचार, रक्षा, पर्यावरण, बहुपक्षीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
- सुरक्षा और रक्षा सहयोग:** सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को अपनाया गया, जिससे रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिली।
 - आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक और खनिजों की सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की गई।
 - रक्षा अभ्यासों का विस्तार:** धर्म गार्जियन (सेना), शिन्यु मैत्री (वायु सेना), जिमेक्स (नौसेना)।
 - अधिग्रहण और पारस्परिक सेवा समझौते (ACSA) के तहत लॉजिस्टिक सहयोग को सुदृढ़ किया गया।
- गतिशीलता और मानव संसाधन आदान-प्रदान:** मानव संसाधन आदान-प्रदान के लिए कार्य योजना से 5 वर्षों में 5 लाख लोगों की द्विपक्षीय गतिशीलता संभव होगी।
 - आगामी पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी के अंतर्गत जापान में 50,000 भारतीय श्रमिकों की नियुक्ति का लक्ष्य।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:** भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 की शुरुआत, जिसमें AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

- भारत-जापान AI पहल के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास से तकनीकी नवाचार को बढ़ावा।
- स्थिरता और पर्यावरण:** संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के तहत सहयोग—निम्न-कार्बन तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की दिशा में।
 - सतत ईंधन पहल स्वच्छ हाइड्रोजन और अमोनिया को बढ़ावा देती है।
 - अपशिष्ट जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग।
- अंतरिक्ष और खनिज:** संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन में ISRO और JAXA की भागीदारी।
 - महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के सहयोग हेतु समझौता जापान (MoU) पर हस्ताक्षर।
- सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंध:** कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा।
 - नगर-प्रान्त स्तर की साझेदारियाँ उप-राष्ट्रीय संबंधों को गहरा करती हैं।

भारत-जापान संबंधों का महत्व

- रणनीतिक संगम:** यह साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में आक्रामकता की साझा चिंताओं को संबोधित करती है, और फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP) रणनीति के अनुरूप है।
- आर्थिक संबंध:** जापान भारत में पाँचवां सबसे बड़ा निवेशक है और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा तथा बुलेट ट्रेन जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रमुख भागीदार है।
 - इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप से लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण होता है।
- वैश्विक शासन:** दोनों देश UNSC सुधार का समर्थन करते हैं, Quad और G20 के सदस्य हैं, और पुनर्गठित बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं।
- रक्षा सहयोग:** नियमित संयुक्त अभ्यासों से इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ती है, जिससे भारत की इंडो-पैसिफिक भूमिका सुदृढ़ होती है।

आगे की राह

- समुद्री तकनीक के सह-विकास के साथ रक्षा संबंधों का विस्तार।
- CEPA को उन्नत कर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- हाइड्रोजन, अमोनिया और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना।
- भारत के कार्यबल को जापान की जनसांख्यिकीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से जोड़ना।
- लचीली आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल अवसंरचना और ग्लोबल साउथ में जलवायु नेतृत्व को बढ़ावा देना।
- यह शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय स्थिरता, साझा आर्थिक विकास और सतत प्रगति के लिए भारत-जापान सहयोग को तेज करता है।

भारत-जापान संबंधों पर संक्षिप्त जानकारी

- **संबंधों की स्थापना:** द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत ने जापान के साथ अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 1952 में हुई और औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई।
- **द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि:** भारत-जापान संबंधों को 2000 में वैश्विक साझेदारी, 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी, और 2014 में 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा मिला।
- **रणनीतिक समन्वय:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक ओशनस इनिशिएटिव (IPOI) जापान की FOIP नीति के साथ घनिष्ठ रूप से सामंजस्यशील है।
- **वैश्विक पहलों में सहयोग:** भारत एवं जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA), आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), और इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए लीडरशिप ग्रुप (LeadIT) जैसी पहलों में सहयोग करते हैं।
 - ▲ दोनों देश जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारत-अमेरिका Quad और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) जैसे बहुपक्षीय ढाँचों में साथ कार्य करते हैं।

रक्षा और सुरक्षा:

- सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008)
- रक्षा सहयोग और आदान-प्रदान MoU (2014)
- सूचना संरक्षण समझौता (2015)
- आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान का समझौता (2020)
- UNICORN नौसेना मस्तूल का सह-विकास (2024)
 - ▲ **अभ्यास:** मालाबार (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ), मिलन (बहुपक्षीय नौसेना), जिमेक्स (द्विपक्षीय समुद्री), धर्म गार्जियन (सेना), और तटरक्षक सहयोग नियमित रूप से आयोजित होते हैं।
 - 2024-25 में भारत और जापान के सेवा प्रमुखों की भागीदारी से इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूती मिली।

द्विपक्षीय व्यापार: 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार \$22.8 बिलियन तक पहुंचा। जापान से आयात भारत के निर्यात से अधिक हैं।

भारत के प्रमुख निर्यात: रसायन, वाहन, एल्युमिनियम, और समुद्री खाद्य; प्रमुख आयात: मशीनरी, स्टील, तांबा, एवं रिएक्टर।

निवेश: जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का पाँचवां सबसे बड़ा स्रोत है, 2024 तक \$43.2 बिलियन का संचयी निवेश।

जापान निरंतर भारत को दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे आशाजनक गंतव्य मानता है।

अंतरिक्ष सहयोग: ISRO और JAXA एक्स-रे खगोलशास्त्र, उपग्रह नेविगेशन, चंद्र अन्वेषण और एशिया पैसिफिक रीजनल स्पेस एजेंसी फोरम (APRSAF) में सहयोग करते हैं। 2016 में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए गए।

उभरते फोकस क्षेत्र: डिजिटल सहयोग (सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप), स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, और कौशल विकास।

विकास और अवसंरचना सहयोग: जापान 1958 से भारत का सबसे बड़ा आधिकारिक विकास सहायता (ODA) दाता रहा है, जो महत्वपूर्ण अवसंरचना और मानव विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। 2023-24 में ODA वितरण लगभग JPY 580 बिलियन (\$4.5 बिलियन) रहा। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रमुख परियोजना है जो उन्नत तकनीक हस्तांतरण और कौशल विकास का प्रतीक है।

पर्यटन: वर्ष 2023-24 को पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष के रूप में मनाया गया, जिसका विषय था “हिमालय को माउंट फ्रूजी से जोड़ना”।

प्रवासी: जापान में लगभग 54,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें मुख्यतः आईटी पेशेवर और इंजीनियर हैं।

Source: DD News

FRA कार्यान्वयन पर UNDP रिपोर्ट (2025)

समाचार में

- UNDP की रिपोर्ट “अधिकारों की सुरक्षा, भविष्य को सक्षम बनाना – FRA से नीति सीख और भविष्य की राहें” ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के लगभग 20 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

वन अधिकार अधिनियम के बारे में

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम) एक ऐतिहासिक कानून है जो वन क्षेत्रों और संसाधनों पर वनवासी अनुसूचित जनजातियों (STs) एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) के अधिकारों को मान्यता देता है तथा उन्हें सौंपता है।
- इसके अंतर्गत जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि तथा उत्पादों तक पहुँच, प्रबंधन एवं उपयोग का अधिकार मिलता है, जिसमें बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान भी शामिल है।
- ग्राम सभा (ग्राम सभा) अधिकारों के दावों की शुरुआत, सत्यापन एवं निर्णय करती है, जिसे उप-मंडलीय और जिला स्तरीय समितियों द्वारा समर्थन मिलता है।

- FRA वनवासियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना बेदखल करने से रोकता है।

मुख्य निष्कर्ष

- लगातार अंतराल: ऐतिहासिक संघर्षों, कमजोर नीति क्रियान्वयन और अधिकार क्षेत्रीय मुद्दों के कारण अपनाने में अंतर एवं अधूरी कार्यान्वयन।
 - रिकॉर्ड त्रुटियाँ: छत्तीसगढ़ में कई FRA शीर्षक रिकॉर्ड में गायब हैं (रिकॉर्ड-कीपिंग में त्रुटियाँ)।
- सनसेट क्लॉज प्रस्ताव: छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्य अधिकारों की मान्यता और सौंपने के लिए “अंतिम तिथि” के पक्ष में।
- ग्राम सभा की भूमिका: ग्राम सभाओं को यह तय करने की सिफारिश कि कब दावों की संतृप्ति हो चुकी है।
- गलत मान्यता: कुछ FRA शीर्षकों को गलत तरीके से मान्यता दी गई, रिकॉर्ड-कीपिंग की कमजोरी और उचित सत्यापन की कमी के कारण।
- संस्थागत चुनौतियाँ: जनजातीय कल्याण विभाग और वन विभागों के बीच संघर्ष।
- एकीकरण की अस्पष्टता: ग्राम सभा वन प्रबंधन योजनाओं को आधिकारिक कार्य योजनाओं में एकीकृत करने का चरण स्पष्ट नहीं।

मुख्य सिफारिशें

- मान्यता के पश्चात शासन को सुदृढ़ करना: विभागीय संघर्षों को हल करने के लिए अंतर-विभागीय समितियों की स्थापना।
 - FRA धारकों का केंद्रीकृत और सटीक रिकॉर्ड रखना।
- लैंगिक समानता: FRA डेटा को लिंग के आधार पर अलग करना।
 - सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाओं के डिज़ाइन में महिलाओं की भागीदारी।
 - लिंग-संवेदनशील आजीविका के अवसरों पर बल।
- वन अधिकारों का मुख्यधारा में लाना: FRA अधिकार धारकों को सभी कल्याण और आजीविका योजनाओं में एक श्रेणी के रूप में मान्यता देना।
 - 5-वर्षीय दृष्टिकोण के साथ नीति निर्माण।
 - FRA और PESA को एकीकृत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे जनजातीय स्व-शासन सुदृढ़ हो।
- विकास को बनाए रखना: मिशन-मोड योजनाएँ जैसे PM-JANMAN और DAJGUA सराहनीय, लेकिन दीर्घकालिक कार्यक्रमों की आवश्यकता।
- अप्रयुक्त प्रावधान: FRA की धारा 3(1)(क): जैव विविधता, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार – अभी तक कोई दावा नहीं, मौद्रीकरण की संभावना।
- लघु वन उत्पाद (MFP): स्वामित्व, कटाई, पारगमन और बिक्री के मानदंडों को स्पष्ट करना।

Source: IE

भारत-सऊदी अरब रक्षा सहयोग (2025)

समाचार में

- संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JCDC) की सातवीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई।

बैठक के प्रमुख निष्कर्ष

- रक्षा सहयोग का विस्तार: प्रशिक्षण, औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास।

- भारत ने सऊदी कर्मियों के लिए भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण स्लॉट की पेशकश की।
- नए सहयोग क्षेत्र: साइबर सुरक्षा, सामरिक संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन आदि।
- सैन्य सहभागिता: भारत ने 'मेक इन इंडिया' रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया।
 - दोनों पक्षों ने संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाया।

भारत-सऊदी रक्षा साझेदारी का महत्व

- रणनीतिक: भारत की सुरक्षा उपस्थिति को पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ाता है।
 - दोनों देशों की इंडो-पैसिफिक और खाड़ी समुद्री सुरक्षा प्राथमिकताओं को पूरक करता है।
- आर्थिक/औद्योगिक: भारत के बढ़ते रक्षा निर्माण क्षेत्र के लिए बाज़ार खोलता है।
 - सऊदी अरब की विज़न 2030 विविधीकरण रणनीति के अनुरूप संयुक्त उद्यमों की संभावना।
- सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की स्थिरता और ऊर्जा व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए समुद्री सहयोग महत्वपूर्ण।
 - रक्षा सहयोग आतंकवाद-रोधी प्रयासों और खुफिया साझेदारी को पूरक करता है।
- राजनयिक: भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद (2019, 2025 में उन्नत) को गहराई प्रदान करता है।
 - भारत की पश्चिम एशिया कूटनीति को UAE, ईरान, इज़राइल के साथ संबंधों के संतुलन में सहायता करता है।

भारत और सऊदी अरब संबंधों के बारे में संक्षेप में

- ऐतिहासिक संबंध: 2006 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा ने दिल्ली घोषणा को जन्म दिया, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिला।
 - 2010 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सऊदी यात्रा के दौरान रियाद घोषणा ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया।

- आर्थिक सहयोग: भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; सऊदी अरब भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
 - FY 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग USD 42.98 बिलियन तक पहुँचा, जिसमें भारत से निर्यात USD 11.56 बिलियन और सऊदी अरब से आयात USD 31.42 बिलियन रहा।
- ऊर्जा साझेदारी: सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल और LPG आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।
- रक्षा साझेदारी: रक्षा संबंधों में व्यापक नौसैनिक सहयोग, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'अल मोहद अल हिंदी' के दो संस्करण, और 2024 में भारत में आयोजित पहला भारत-सऊदी संयुक्त थल सेना अभ्यास EX-SADA TANSEEQ-I शामिल हैं।
- सांस्कृतिक संबंध: भारत 2018 में सऊदी अरब के 32वें राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति महोत्सव (JANADRIYAH) में 'गेस्ट ऑफ ऑनर' था।
 - 2017 में सऊदी सरकार ने योग को खेल गतिविधि के रूप में मान्यता दी।
- सऊदी अरब में भारतीय समुदाय: लगभग 2.7 मिलियन भारतीय सऊदी अरब में निवास करते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु का कार्य करते हैं।

Source: TH

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023 रिपोर्ट

संदर्भ

- हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कई बार की देरी के पश्चात 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023' रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष


- सड़क दुर्घटनाओं और मृत्युओं में वृद्धि: भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2023 में वर्ष-दर-वर्ष 4.2% बढ़ीं, कुल 480,583 मामले दर्ज हुए।
 - इन दुर्घटनाओं में 172,890 लोगों की जान गई – अब तक की सबसे अधिक संख्या।

- मृत्युओं की संख्या 2022 की तुलना में 2.6% बढ़ी, जबकि 462,825 लोग घायल हुए – 4.4% की वृद्धि।
- घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि: घातक सड़क दुर्घटनाएँ 2022 में 1,55,781 से बढ़कर 2023 में 1,60,509 हो गईं – 3.04% की वृद्धि।
 - ये कुल दुर्घटनाओं का 33.4% थीं, जहाँ घातक दुर्घटना वह होती है जिसमें दो या अधिक मृत्युओं होती हैं।
- सबसे अधिक जोखिम में कौन?
 - युवा वयस्क (18-45 वर्ष): कुल मृत्युओं का 66.4% हिस्सा।
 - कामकाजी आयु वर्ग (18-60 वर्ष): कुल मृत्युओं का 83.4% हिस्सा।
 - दोपहिया वाहन चालक: कुल मृत्युओं का 44.8%।
 - पैदल यात्री: लगभग 20% मृत्युओं।
 - बच्चे: केवल 2023 में 9,489 से अधिक बच्चों की मृत्युओं।

Crash report

Year	Accidents	% chg Y-o-Y	Fatalities	% chg Y-o-Y	Injuries	% chg Y-o-Y
2019	456,959	-2.9	158,984	0.9	449,360	-3.3
2020	372,181	-18.6	138,383	-13	346,747	-22.8
2021	412,432	10.8	153,972	11.3	384,448	10.9
2022	461,312	11.9	168,491	9.4	443,366	15.3
2023	480,583	4.2	172,890	2.6	462,825	4.4

Death note (Fatal accidents)



Source: Road Accidents in India 2023 report

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण

- अत्यधिक गति (68%): मृत्युओं का प्रमुख कारण। गति सीमा से अधिक चलाना प्रतिक्रिया समय घटाता है और टक्कर की गंभीरता बढ़ाता है।
- गलत दिशा में चलना (5.5%): एकतरफा सड़कों पर उल्टी दिशा में चलना या बाईं ओर से ओवरटेक करना। प्रायः आमने-सामने की टक्कर का कारण बनता है।

- ध्यान भटकना: मोबाइल फोन का उपयोग, खाना या गाड़ी चलाते समय नियंत्रण समायोजन दुर्घटनाओं में योगदान देता है।
- नशे में ड्राइविंग: शराब निर्णय क्षमता, प्रतिक्रिया और समन्वय को प्रभावित करती है, जिससे यह एक स्थायी जोखिम कारक बनती है।
- खराब सड़कें: गड्ढे, बिना चिह्नित स्पीड ब्रेकर और संकेतों की कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ाते हैं।
- वाहन दोष: ब्रेक फेल होना, टायर फटना और अन्य यांत्रिक समस्याएँ नियंत्रण खोने का कारण बन सकती हैं।
- मौसम और दृश्यता: कोहरा, बारिश और कम रोशनी दृश्यता और पकड़ को कम करते हैं, जिससे दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं।
- सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी: हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना घातक चोटों का जोखिम काफी बढ़ा देता है।

भारत में सड़क सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रयास

- मौलिक अधिकार के रूप में सड़क सुरक्षा: सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक आवश्यक घटक है।
- भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP): यह यात्री कारों के लिए सुरक्षा रेटिंग प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता सूचित निर्णय ले सकें।
- वाहन स्क्रेपिंग नीति: सरकार ने असुरक्षित वाहनों को हटाने के लिए 15 राज्यों में 44 पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाएँ चालू की हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन तंत्र: गति कैमरे, CCTV निगरानी और स्वचालित ट्रैफिक प्रवर्तन प्रणाली लागू की गई हैं ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- आपातकालीन देखभाल पहल: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए “गोल्डन आवर” के दौरान कैशलेस उपचार योजना शुरू की, जिससे समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।

MoRTH के लक्षित हस्तक्षेप

- राष्ट्रीय राजमार्गों पर 5,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट का सुधार।
- जोखिम क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट।
- एयरबैग और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सहित कड़े वाहन सुरक्षा मानदंड।
- गति कैमरे और CCTV निगरानी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन तंत्र।
- जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और वाहन फिटनेस केंद्रों की स्थापना।

वैश्विक प्रयास

- ब्रासीलिया घोषणा (2015): 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युओं को आधा करने के लिए आवश्यक उपायों को परिभाषित किया।
- संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक (2021–2030): 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मृत्युओं को आधा करने का लक्ष्य।
 - ▲ यह स्टॉकहोम घोषणा (2020) के अनुरूप है।
- विश्व बैंक रिपोर्ट (2020): आगामी दशक में सड़क दुर्घटना मौतों में 50% कमी लाने के लिए अतिरिक्त \$109 बिलियन की आवश्यकता का अनुमान।

प्रमुख समितियाँ और नीति ढाँचे

- सुंदर समिति (2005): राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की सिफारिश की, जिसे 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
 - ▲ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया ताकि सुरक्षा नियमों और प्रवर्तन की निगरानी की जा सके।
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद (NRSC): MoRTH के तहत एक सलाहकार निकाय, जो नीति उपायों, प्रवर्तन रणनीतियों और बुनियादी ढाँचे सुधारों पर सिफारिशें देता है।

- सड़क सुरक्षा शिक्षा पर कार्य समूह:
 - चालक प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान और स्कूल स्तर की सड़क सुरक्षा शिक्षा पर केंद्रित।
 - ट्रैफिक कानूनों के सख्त प्रवर्तन और स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा के एकीकरण की वकालत करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला सड़क सुरक्षा समितियाँ।
 - यह 4E पर केंद्रित है: इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकाल।

Source: BS

DBT बायोकेयर कार्यक्रम में वित्त पोषण संबंधी चिंताएँ

संदर्भ

- DBT बायोकेयर कार्यक्रम के लिए चयनित हुए लगभग पाँच माह बीत चुके हैं, लेकिन चुने गए 75 उम्मीदवारों में से किसी को भी वादा की गई धनराशि या वेतन प्राप्त नहीं हुआ है।

परिचय

- DBT, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) के अंतर्गत आता है, 2011 से बायोकेयर कार्यक्रम चला रहा है।
- यह मुख्य रूप से बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए है, जिनके लिए यह सरकार द्वारा स्वीकृत प्रथम बाह्य अनुसंधान अनुदान होगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित एक महिला शोधकर्ता को तीन वर्षों के लिए ₹60 लाख का अनुदान मिलता है, जिसमें ₹75,000 प्रति माह का वेतन शामिल है।
- 2020 से 2024 तक, औसतन प्रति वर्ष लगभग 50 महिला वैज्ञानिकों को इस कार्यक्रम का लाभ मिला है।
- इस वर्ष 75 महिला वैज्ञानिकों को चुना गया; लेकिन आवश्यक स्वीकृति पत्र या धनराशि के अभाव में वे अपना शोध कार्य प्रारंभ नहीं कर सकीं।

भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय

- भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय (GERD) GDP के प्रतिशत के रूप में 0.6% से 0.7% के बीच रहा, जो वैश्विक औसत से कम है और चीन, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका जैसे देशों से भी पीछे है।
- इसका एक कारण भारत के निजी क्षेत्र द्वारा GERD में अपेक्षाकृत कम निवेश है, जो केवल लगभग 36% है, जबकि उपर्युक्त देशों में यह योगदान 70% से अधिक है।

R&D में वित्त पोषण की आवश्यकता

- आर्थिक विकास: नए उद्योगों को बढ़ावा देता है, उत्पादकता में सुधार करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
- तकनीकी प्रगति: AI, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नवाचार को संभव बनाता है।
- सामाजिक चुनौतियाँ: गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है।
- रोजगार सृजन: नवाचार रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
- वैश्विक स्थिति: भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है।
- निवेश आकर्षण: अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देता है।

कम वित्त पोषण के प्रभाव

- निवेश संबंधी चिंताएँ: विशेष रूप से सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास में सीमित निवेश।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: कई संस्थानों में अपर्याप्त अनुसंधान सुविधाएँ और संसाधन।
- ब्रेन ड्रेन: बेहतर अवसरों के कारण प्रतिभा का अन्य देशों की ओर पलायन।
- उद्योग सहयोग की कमी: अकादमिक संस्थानों और उद्योग के बीच सीमित साझेदारी।
- कौशल अंतराल: कुशल शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों के प्रशिक्षण और विकास की कमी।

सरकारी पहलें

- अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना: ₹1 लाख करोड़ की कोष राशि के साथ स्वीकृत, यह योजना निजी क्षेत्र के R&D और डीप-टेक स्टार्टअप्स को सक्रिय करने का लक्ष्य रखती है।
 - ▲ यह दीर्घकालिक, कम या शून्य ब्याज ऋण, इक्विटी निवेश और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से एक नया डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन: 2023-31 के लिए ₹6,003.65 करोड़ आवंटित, वैज्ञानिक और औद्योगिक R&D के माध्यम से क्वांटम तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए।
- अटल नवाचार मिशन (AIM): छात्रों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को समर्थन प्रदान कर जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए।
- उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन: अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी तथा जलवायु-लचीले बीजों के विकास पर केंद्रित, DBT की कृषि जैव प्रौद्योगिकी प्रयासों के अनुरूप।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM): सरकार की 'BioE3 नीति' के अनुरूप उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, बजट में घोषित NMM का उद्देश्य तकनीकी विकास और व्यावसायीकरण को तीव्र करना है।
- सीवीड मिशन और लर्न & अर्न कार्यक्रम: महिला उद्यमियों को सशक्त बनाते हैं, आर्थिक समावेशन को समर्थन देते हैं।

आगे की राह

- R&D व्यय बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ाना आवश्यक है।
- उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान गतिविधियों और उन्हें समर्थन देने वाले वित्त को व्यापक बनाया जा सके।

Source: TH

भारत द्वारा अपनी समुद्री मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करने का प्रयास

संदर्भ

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) एवं खुले समुद्रों में "सतत" मत्स्य पालन को सक्षम करने के लिए प्रारूप नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत के मत्स्य क्षेत्र की संभावनाएँ

- भारत के पास लगभग 11,098.81 किमी लंबी समुद्री तटरेखा है, जिसमें 1,457 लैंडिंग केंद्र एवं 3,461 मछली पकड़ने वाले गाँव हैं, जो मत्स्य विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।
- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसने 2022-2023 में वैश्विक उत्पादन का 8% योगदान दिया।
- देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 20 लाख वर्ग किमी में फैला है, जिसमें 5.31 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक पकड़ क्षमता का अनुमान है।
- भारत का समुद्री मछली पकड़ना 2023-24 में 44.95 लाख टन और 2022-23 में 44.32 लाख टन दर्ज किया गया।
- उच्च मूल्य वाली टूना और टूना जैसी प्रजातियाँ विशेष रूप से निर्यात के लिए विकास का प्रमुख क्षेत्र मानी गई हैं।

नए नियामक ढाँचे की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रारूप दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी भारतीय ध्वजांकित पोत बिना प्राधिकरण पत्र (LOA) के खुले समुद्रों में मछली नहीं पकड़ सकता।
- LOA तीन वर्षों के लिए वैध होगा, जिससे एक निश्चित अवधि के लिए नियामक निगरानी सुनिश्चित होगी।
- यह ढाँचा अवैध, अपंजीकृत और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने पर रोक लगाता है, जिससे भारत वैश्विक मत्स्य शासन मानकों के अनुरूप हो जाता है।

- भारतीय पोतों को क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMOs) के संरक्षण और प्रबंधन उपायों का पालन करना होगा, जिनमें शामिल हैं:
 - ▲ पकड़ सीमा,
 - ▲ उपकरण प्रतिबंध,
 - ▲ उपपकड़ (bycatch) न्यूनीकरण,
 - ▲ मछली समुच्चय उपकरण (FAD) प्रबंधन,
 - ▲ यात्रा रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
- दिशा-निर्देशों में छोटे पैमाने एवं पारंपरिक मछुआरों को खुले समुद्रों में भाग लेने तथा मूल्य श्रृंखला दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का प्रावधान भी है।
- पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरे उच्च समुद्री मत्स्य पालन के लिए आवश्यक तकनीक, पूंजी और प्रशिक्षण तक पहुँच में सीमित हैं।
- अपर्याप्त कोल्ड चेन, बंदरगाहों एवं आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी आधारभूत संरचना की कमी दक्षता और निर्यात क्षमता को कम करती है।
- पर्यावरणीय चिंताएँ जैसे उपपकड़, प्रवाल भित्तियों का क्षरण और असतत मछली पकड़ने वाले उपकरण पारिस्थितिक जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- IUU मत्स्य पालन के विरुद्ध निगरानी एवं प्रवर्तन के लिए सुदृढ़ निगरानी तंत्र और संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है।

अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों पर विशेष ध्यान

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई (6.6 लाख वर्ग किमी EEZ) हिस्सा रखते हैं।
- एक समर्पित “टूना क्लस्टर” अधिसूचित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
 - ▲ ऑन-बोर्ड प्रसंस्करण और फ्रीजिंग सुविधाएँ,
 - ▲ गहरे समुद्र में टूना पोतों का लाइसेंसिंग,
 - ▲ अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा संचालित एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली।
- लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत के कुल EEZ का लगभग 17% (4 लाख वर्ग किमी) कवर करते हैं, साथ ही 4,200 वर्ग किमी का लैगून क्षेत्र भी है।
 - ▲ लक्षद्वीप के विकास योजनाएँ टूना मत्स्य पालन, जलीय कृषि और सतत लैगून-आधारित मत्स्य प्रणालियों में अवसरों का दोहन करने पर केंद्रित हैं, जिससे द्वीपों को समुद्री संसाधन विकास का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।

क्या हैं चुनौतियाँ?

- तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि अपतटीय और गहरे समुद्र की संभावनाएँ अभी भी कम उपयोग में हैं।

सरकारी पहलें

- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA): यह तकनीकी उन्नयन, बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन को सुविधाजनक बनाता है।
- राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य कार्य योजना (NMFAP): इसमें मत्स्य संसाधनों के आकलन, मत्स्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना और तकनीक को बढ़ाने तथा जलीय कृषि विकास को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इसे FY 2020-21 से FY 2024-25 तक भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन लाने के लिए लागू किया गया।
- मत्स्य और जलीय कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि (FIDF): इसे मत्स्य क्षेत्र की आधारभूत संरचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोष बनाने हेतु लागू किया गया।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: 2018-19 में इसे मत्स्य और पशुपालन किसानों तक विस्तारित किया गया ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

आगे की राह

- आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना: आधुनिक बंदरगाहों, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण

सुविधाओं में निवेश करें ताकि कटाई के बाद नुकसान को कम किया जा सके और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।

- मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना: टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करें, मजबूत मूल्य श्रृंखला, ऑन-बोर्ड प्रसंस्करण और वैश्विक बाजार से जुड़ाव बनाएं।
- मछुआरों के लिए क्षमता निर्माण: पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करें ताकि वे गहरे समुद्र तथा खुले समुद्रों में भाग ले सकें।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

मेला पट

संदर्भ

- जम्मू और कश्मीर में, डोडा जिले के प्राचीन खाखल मोहल्ले में वार्षिक तीन दिवसीय मेला पट का शुभारंभ हुआ।

मेला पट

- यह भद्रवाह घाटी के अधिष्ठाता देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित है।
- यह त्योहार नाग संस्कृति पर आधारित है, जो मुगल सम्राट अकबर और भद्रवाह के राजा नाग पाल के बीच ऐतिहासिक भेंट का प्रतीक है।
- यह त्योहार 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है।
- इसे प्रथम बार राजा नाग पाल ने मनाया था जब भद्रवाह को भद्रकाशी के नाम से जाना जाता था।
- यह प्रत्येक वर्ष कैलाश यात्रा के समापन के सात दिन बाद नाग पंचमी पर मनाया जाता है और अपनी समावेशी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है।
- अनोखा 'दिक्को नृत्य', एक पारंपरिक लोक प्रदर्शन जिसमें सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के पुरुष और महिलाएं

भाग लेते हैं, शांति, गौरव और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है।

भद्रवाह घाटी

- यह जम्मू और कश्मीर (J&K) के जम्मू संभाग के डोडा जिले में स्थित है।
- नीरू नदी घाटी से होकर प्रवाहित होती है।
- प्रमुख त्योहार: मेला पाट और कैलाश यात्रा।
- बोली जाने वाली भाषाएँ: भद्रवाही (एक पश्चिमी पहाड़ी बोली), कश्मीरी, डोगरी, उर्दू।

Source: AIR

दारुमा गुड़िया

समाचार में

- दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जापान यात्रा के दौरान एक दारुमा गुड़िया भेंट की।

दारुमा गुड़िया

- दारुमा एक जापानी पेपर-माचे गुड़िया है जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्म से प्रेरित है।
- यह दृढ़ता, लचीलापन और सौभाग्य का प्रतीक है।
- लक्ष्य-निर्धारण अनुष्ठान के अंतर्गत, लक्ष्य निर्धारित होने पर एक आँख रंगी जाती है; उपलब्धि पर दूसरी आँख भर दी जाती है—जो प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।
- इसका गोल आधार यह सुनिश्चित करता है कि झुकने पर यह हमेशा सीधा रहे, जो इस कहावत को चरितार्थ करता है: “सात बार गिरो, आठ बार उठो”—कभी हार न मानने का एक रूपक।

भारत के साथ संबंध

- दारुमा गुड़िया कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म के गहन ध्यान का प्रतीक है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइशी के रूप में सम्मानित किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नौ वर्षों तक दीवार की ओर मुँह करके अपने अंगों को मोड़कर ध्यान किया

था—इसलिए इस गुड़िया का अंगहीन, गोल आकार और खाली आँखें हैं।

- बोधिधर्म की यात्रा उन्हें भारत से चीन के हेनान प्रांत ले गई, जहाँ उन्होंने एक गुफा में ध्यान किया।
- दारुमा का नाम संस्कृत शब्द “धर्म” से लिया गया है, जो इसकी भारतीय जड़ों को दर्शाता है।

क्या आप जानते हैं?

- 1697 में निर्मित गुन्मा के ताकासाकी में शोरिनज़न दारुमाजी मंदिर को दारुमा का उद्गम स्थल माना जाता है।
- इस मंदिर में दारुमा गुड़ियों के विशाल ढेर हैं।
- ताकासाकी जापान में दारुमा गुड़ियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

Source :IE

गुरु तेग बहादुर जी का 350वाँ शहीदी दिवस

संदर्भ

- भारतीय रेलवे युवा पीढ़ी को उनकी शिक्षाओं और बलिदानों से अवगत कराने के लिए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का स्मरण करेगा।

गुरु तेग बहादुर के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन:** उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था और वे छोटे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे।
 - ▲ गुरु तेग बहादुर अपनी युवावस्था में तेयाग मल के नाम से जाने जाते थे और बाद में उनके पिता ने उन्हें “तेग बहादुर” की उपाधि दी।
 - ▲ 1664 में, वे नौवें सिख गुरु बने।
- **योगदान:** उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की, सिख संस्थाओं को सुदृढ़ किया और गुरु ग्रंथ साहिब में 700 से अधिक भजन जोड़े, जिससे एक गहन आध्यात्मिक विरासत बनी।
- **शिक्षाएँ:** गुरु ग्रंथ साहिब में उनके भजन आध्यात्मिक मुक्ति, मानवाधिकारों और समानता पर बल देते हैं।

- ▲ गुरु तेग बहादुर ने सहिष्णुता की वकालत की और अत्याचार का विरोध किया।

ऐतिहासिक महत्व

- हिंद की चादर (भारत की ढाल) के रूप में पूजे जाने वाले गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
- 1675 में, औरंगज़ेब के शासन में जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हुए, वे दिल्ली में शहीद हो गए।
- उनकी शहादत स्थली पर अब गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है।

Source: AIR

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- **स्थापना:** IMF की स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में हुई थी।
- **सदस्यता:** वर्तमान में इस संगठन में 191 सदस्य देश शामिल हैं।
 - ▲ कार्यकारी बोर्ड में प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व उसके वित्तीय योगदान (कोटा) द्वारा निर्धारित होता है।
- **कार्यकारी बोर्ड:** बोर्ड में 25 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चुनाव सदस्य देशों या देशों के समूहों द्वारा किया जाता है।
 - ▲ भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के साथ चार देशों के निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है।
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी.
- **प्रकाशन:** विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर, वैश्विक नीति एजेंडा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की भूमिका

- **संकट प्रबंधन:** आईएमएफ व्यापक आर्थिक जोखिमों, विशेष रूप से मुद्रा संकटों, का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे अक्सर “बेलआउट” कहा जाता है।
- **ऋण तंत्र:** सहायता सामान्यतः विशेष आहरण अधिकार के रूप में प्रदान की जाती है, जो पाँच मुद्राओं: अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड पर आधारित एक आरक्षित परिसंपत्ति है।
 - ▲ ऋण देने के साधनों में विस्तारित ऋण सुविधा, लचीली ऋण रेखा और स्टैंड-बाय व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
- **शर्तें:** आईएमएफ का समर्थन संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत समायोजनों से जुड़ा है।
 - ▲ ऋण लेने वाले देशों को प्रायः राजकोषीय समेकन, मुद्रा स्थिरीकरण या शासन सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

Source: TH

भारत द्वारा कपास पर आयात शुल्क छूट विस्तारित

संदर्भ

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित, भारत सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है।
- शुल्क-मुक्त कपास आयात, कपड़ा मूल्य श्रृंखला, सूत, कपड़ा, परिधान और मेड-अप्स में कच्चे माल की लागत को नियंत्रित करने में सहायता करता है।

भारत में कपास का उत्पादन और उपभोग

- भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कपास की सभी चार प्रजातियाँ उगाता है: जी. आर्बोरियम और जी. हर्बेशियम (एशियाई कपास), जी. बारबाडेस (मिस्र का कपास) और जी. हिर्सुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
- कपास का अधिकांश उत्पादन 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से आता है, जिन्हें तीन विविध कृषि-पारिस्थितिक

क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- ▲ उत्तरी क्षेत्र - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
- ▲ मध्य क्षेत्र - गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
- ▲ दक्षिणी क्षेत्र - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- ▲ उपरोक्त के अतिरिक्त, कपास ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में भी उगाया जाता है।
- भारत कपास सीजन 2022-23 के दौरान 5.84 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो विश्व कपास उत्पादन का 23.83% है।
- भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसकी अनुमानित खपत विश्व कपास खपत का 22.24% है।

Source: PIB

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI)

समाचार में

- महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 (छठे संस्करण) में अपने-अपने समूहों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरे हैं।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में

- **जारीकर्ता:** विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) + ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था गठबंधन (AEEE)।
- ▲ 2018 में प्रथम बार लॉन्च किया गया, SEEI प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है।
- **उद्देश्य:** राज्य-स्तरीय ऊर्जा दक्षता प्रगति पर नज़र रखना और ऊर्जा-कुशल शासन, नीतियों और परिणामों को प्रोत्साहित करना।
- **वर्गीकरण:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अग्रणी (>60% स्कोर), सफल (50-60%), दावेदार (30-50%), और आकांक्षी (<30%)।

Source: PIB

कोनोकार्पस पेड़

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने पारिस्थितिक क्षति के कारण भारत में कोनोकार्पस वृक्षों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

कोनोकार्पस वृक्षों के बारे में

- वैज्ञानिक नाम:** कोनोकार्पस इरेक्टस (जिसे बटनवुड वृक्ष भी कहा जाता है)।
- उत्पत्ति:** उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों का मूल निवासी।
 - भारत (मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना) में शहरी हरियाली और सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए इसकी तेज वृद्धि एवं लवणीय व शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के कारण इसे लाया गया है।
 - ये सदाबहार, मध्यम आकार के वृक्ष (20 मीटर तक) हैं और शुष्क, लवणीय और प्रदूषित वातावरण में तेजी से बढ़ते हैं।

भारत में चिंताएँ:

- एलर्जी प्रतिक्रियाएँ:** उच्च स्तर के परागकणों के उत्सर्जन की सूचना, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएँ, अस्थमा और त्वचा की एलर्जी हो सकती है।
- पारिस्थितिक प्रभाव:** कुछ क्षेत्रों में इसे आक्रामक के रूप में वर्गीकृत किया गया है - यह स्थानीय वनस्पतियों को दबा देता है।
 - अधिक जल का सेवन शुष्क क्षेत्रों में भूजल पर दबाव डाल सकता है।
- नगरपालिका प्रतिबंध:** हैदराबाद (2022) और गुजरात (2023) ने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया।

Source: HT

अभ्यास अचूक प्रहार

संदर्भ

- भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च-ऊँचाई वाले अभ्यास “अचूक प्रहार” का समापन किया।

अभ्यास के बारे में

- यह अभ्यास कृत्रिम युद्ध स्थितियों में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास ने सेना और आईटीबीपी के बीच पारस्परिक क्षमता का परीक्षण किया और देश की सीमाओं की सुरक्षा में सशस्त्र बलों और सीएपीएफ की युद्ध तत्परता की पुष्टि की।
- यह अभ्यास चीन की सीमा से लगे संवेदनशील पूर्वी क्षेत्र में भारत की बहुस्तरीय रक्षा संरचना और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ करता है।
- यह हाल ही में हुए एकीकृत अभ्यासों - जैसे प्रचंड प्रहार और पूर्वी प्रहार - की श्रृंखला के बाद हुआ है, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भारत की तीनों सेनाओं की क्षमताओं का परीक्षण किया है।

Source: TH

स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स

समाचार

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स 2022-23 प्रदान किए और भारत के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स

- यह विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदान को याद करने का एक प्रयास है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
- यह राष्ट्र निर्माता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मान्यता देने की दिशा में स्कोप के निरंतर प्रयासों का भाग है।

सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (SCOPE)

- इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) के बीच प्रतिस्पर्धा एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। नवंबर 1976 में इसे औपचारिक रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शीर्ष निकाय के रूप में मान्यता दी गई।
- यह चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है: नीति वकालत, कार्यक्रम और कार्यशालाएँ, क्षमता निर्माण, एवं कौशल विकास एवं ब्रांड निर्माण।
- यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO); संयुक्त राष्ट्र (UN); आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) और अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन (IOE) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नियोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करता रहा है।

Source :PIB

